



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकर्म)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 409 - काविनी० एवं वै०प्र०-२९ / पाकालि / १३ - १७ काविनी एवं वै०प्र० / ०८

दिनांक २० जुलाई, 2013

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय :- पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि की गणना हेतु धनराशि को 10 रुपये में पूर्णांकित करने की व्यवस्था का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों में छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना विषयक आदेश स० 175-काविनी एवं वै०प्र०-२९/पाकालि/०९-१७ काविनी एवं वै०प्र०/०८ दिनांक 19.02.2009 के प्रस्तर-०५(क)(१) में दिनांक ०१(जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन के 186 प्रतिशत की धनराशि को अगले 10 रुपये में पूर्णांकित करने तथा प्रस्तर-७ में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की गणना हेतु धनराशि को 10 रुपये में पूर्णांकित करने की व्यवस्था की गई है।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से यह स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गई है कि तदनुसार पूर्णांकन हेतु 50 पैसे या उससे कम को 01 रुपया मानते हुए 10 रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अथवा नहीं।

3. उपर्युक्त के क्रम में उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० वै०आ०-२-३०२५/दस-५९(एम)/२००८ दिनांक ०९ दिसम्बर, २०१० द्वारा निर्गत किये गये स्पष्टीकरण/प्राविधानों को अंगीकृत करते हुए मुझे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है :-

स्पष्टीकरण का बिन्दु	स्पष्टीकरण
(1)	(2)
क्या पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में वेतन बैण्ड + वेतन + ग्रेड वेतन के योग पर 03 प्रतिशत की आगणित धनराशि में 50 पैसे से कम को 01 रुपये मानते हुए अगले 10 रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अथवा 50 पैसे से ऊपर को ही 01 रुपये मानते हुए अले दस रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा ?	शासनादेश संख्या-वै०आ०-२-१३२७/दस- ५९ (एम)/२००८ दिनांक ११ दिसम्बर, २००८ की फिटमेन्ट तालिकाओं में पूर्णांकित किये जाने की व्यवस्था को बिना किसी परिवर्तन के यथावत् लागू किया जायेगा।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में वेतन बैण्ड में वेतन + ग्रेड वेतन के योग के 03 प्रतिशत की आगणित धनराशि को 10 रुपये में पूर्णांकित

किये जाने हेतु पैसे के किसी भी अंश को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा तथा एक रुपये अथवा उससे अधिक को अगले 10 रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

उदाहरण :- यदि 03 प्रतिशत की आगणित धनराशि रु० 1900.70/- है तो उसे रु० 1900/- में पूर्णांकित किया जायेगा।

यदि 03 प्रतिशत की आगणित धनराशि रु० 1901/- है तो उसे रु० 1910/- में पूर्णांकित किया जायेगा।

महादीप्य

(जावेद अहमद) २०१८/१४
संयुक्त सचिव (कार्यविधीनी)

सं० 409 - (1) काविनी एवं वे०प्र०-२९ / पाकालि / 2013 - तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि�०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि�०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केरको, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि�०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि�०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि�०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि�०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी-१७, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त अधिकारी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०।
12. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�०, शक्ति भवन लखनऊ।
13. लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिकारी अभियन्ता (वेब), कक्ष स०-४०७, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि�० की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(जावेद अहमद) २०१८/१४
संयुक्त सचिव (कार्यविधीनी)

